

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 12 अप्रैल, 2023

रि.या. (सि.) 4561/2023

एनके/पीएच विनीत कुमार

....याचिकाकर्ता

द्वारा :

कोई नहीं।

बनाम

भारत संघ अन्य

...प्रत्यर्थागण

द्वारा :

श्री अभिषेक साकेत एसपीसी
के साथ डॉ. अमित आचार्य,
जी. पी. मेजर पार्थो कात्यायन

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

1. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की हैं:

(क) याचिकाकर्ता को वार्षिक अवकाश की मंजूरी के लिए प्रत्यर्थागण को निर्देश देना।

(ख) प्रत्यर्थागण को याचिकाकर्ता के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देना, यदि वह अभी तक पूरी नहीं हुई है।

2. अग्रिम नोटिस पर उपस्थित प्रत्यर्थागण के विद्वान् अधिवक्ता ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.04.2023 को छुट्टी के लिए आवेदन किया और उक्त आवेदन विचार के लिए लंबित है।

3. इसके द्वारा हम वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं जिसमें प्रत्यर्थागण को आज से 10 दिनों के भीतर दिनांक 08.04.2023 के अवकाश आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

4.तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

सुरेश कुमार कैत न्यायमूर्ति

नीना बंसल कृष्णा न्यायमूर्ति

11अप्रैल, 2023/पीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।